न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2021 / 272 दिनांक :– 9.9.21

राजस्व आवेदन नं. 18/2017 U/s 111, 128 RLR

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. वरदा वल्द बगदाराम
2. बाबु वल्द बगदा
3. मजनाराम वल्द मोडाराम
4. पोकर वल्द मिश्रा
5. सीता बैवा मिश्रा कौम भील निवासीयान मेवानगर तह0 पचपदरा बाडमेर ।

विप्रार्थीगण

1. दुर्गा वल्द बादरा
2. मंगलाराम वल्द चौथाराम
3. घेवरराम वल्द समाराम
4. चौपला वल्द जोधा
5. सुबटी बैवा जोगाराम
6. भटाराम वल्द जोगाराम
7. सीतादेवी पत्नी रामचन्द्र
8. हेमाराम वल्द काछुडा
9. वंशाराम वल्द काछुडा
10. पारसराम वल्द काछुडा
11. धुडाराम वल्द भोलाराम
12. लुम्बाराम वल्द राणाराम कौम भील निवासीयान मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

दिनांक :–9.09.2021

आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मौजा मेवानगर पटवार क्षेत्र मेवानगर तहसील पचपदरा में मूल खसरा संख्या 347 के बने नये खसरा नंबर 967/347 रकबा 10 बीघा, खसरा नंबर 968/347 रकबा 06 बीघा 17 विस्वा, खसरा नंबर 965/347 रकबा 20 बीघा व खसरा नंबर 966/347 रकबा 15 बीघा तथा विप्रार्थीगण संख्या 4 ता 12 के प्रतिदावा अनुसार खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 172–05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा। पुलिस [illegible] यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:33:56 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

क्रमांक :– रीडर / 2021 / 273-277 दिनांक :– 9.9.21

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा को पालना हेतु ।
3. पटवारी मेवानगर तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थीगण :–वरदा वल्द बगदाराम वगै0 कौम भील निवासीयान मेवानगर तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
5. विप्रार्थीगण :– दुर्गा वल्द बादरा कौम भील तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:33:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner